

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 62/2025

(सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 12/2024)

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, ग्राम भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर पुलिस थाना नसीराबाद सदर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 03.10.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2025 के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 03, अजमेर में दांडिक अपील संख्या 104/2025 सीआईएस संख्या 104/2025 बउनवान विजय कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी अजमेर व अन्य में निर्णय दिनांक 25.08.2025 पारित किया गया कि अपीलार्थी विजय कुमार श्री गोपाल लाल निवासी भवानीखेडा तहसील उम्र 30 वर्ष निवासी नसीराबाद जिला अजमेर की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.02.2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित की जाती है कि धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं प्रार्थी/अपीलार्थी के सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर विधिनुसार पुनः आदेश पारित करे। पक्षकारान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2025 को उपस्थित रहे। उक्त दिनांक को प्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 23.08.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करने के संबंध में प्राप्त मुखबीर सूचना के क्रम में जांच दल हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल भवानीखेडा, नसीराबाद की दुकान पर पहुँचे। मौके पर दुकान के सामने एक पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 खड़ी पायी जिस पर एच.पी.गैस तथा मलका गैस लिखा होना पाया गया। उक्त वाहन में कुल 66 गैस सिलेण्डर पाए गये, जिनमें से 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए। मौके पर श्री विजय कुमार ने बताया कि दुकान उन्होंने किराये पर ले रखी है तथा पिकअप वाहन जिसमें सिलेण्डर बरामद हुए वह भी उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री विजय कुमार द्वारा * गैस सिलेण्डरो व पिकअप वाहन संबंधित कोई भी बिल वाउचर, गैट पास, गाड़ी की आर.सी एवं अन्य किसी भी प्रकार का कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गाड़ी व सिलेण्डरों की प्राप्ति के बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया कि मैं सिलेण्डर मलका गैस एजेन्सी के गोदाम से पिकअप वाहन में भरकर लाता हूँ और फिर



जिला कलक्टर
अजमेर

गांव में उपभोक्ताओ को आपूर्ति करता हूँ। वक्त जांच विजय कुमार के पास गैस एजेन्सी का कोई आई कार्ड नहीं मिला। उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी के पाए गये। जिसमें भरे हुए गैस सिलेण्डरों में कुल एलपीजी घरेलू गैस 259.1 किग्रा पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स देवराज गैस एजेन्सी, नासून (मसूदा) ब्यावर के कार्मिक श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री अमरुद्दीन को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया—

S.N.	S.R.NO	CO.	T.W.	G.W	N.W.GAS
1	081164T	SEAL HP	16.0	30.2	14.2
2	889602S	SEAL HP	15.6	29.8	14.2
3	275847S	SEAL HP	15.8	28.5	12.7
4	866688T	SEAL HP	15.6	29.7	14.1
5	048201P	SEAL HP	15.7	29.9	14.2
6	342941S	SEAL HP	15.6	29.8	14.2
7	175179T	SEAL HP	15.6	29.8	14.2
8	836893T	SEAL HP	15.7	30	14.3
9	031610	SEAL HP	16.8	31	14.2
10	380190S	SEAL HP	16.5	30.7	14.2
11	354050	SEAL HP	15.7	30.1	14.4
12	674065J	SEAL HP	15.5	30.8	15.3
13	211353S	SEAL HP	15.7	30.0	14.3
14	407785S	SEAL HP	15.6	29.8	14.2
15	0442568	SEAL HP	15.9	29.5	13.9
16	7247568	SEAL HP	15.6	29.8	14.2
17	2636948	SEAL HP	15.6	29.7	14.1
18	779011	UN SEAL HP	17.1	31.3	14.2
19	127032	UN SEAL HP	16.1	16.2	1
20	16727T	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
21	34989S	UN SEAL HP	15.6	15.8	2
22	281412T	UN SEAL HP	16.0	16.0	0
23	62602	UN SEAL HP	15.9	15.9	0
24	011864T	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
25	448646	UN SEAL HP	15.7	15.8	1
26	22903S	UN SEAL HP	15.9	15.9	0
27	184084S	UN SEAL HP	15.5	15.6	1
28	399161	UN SEAL HP	15.7	15.8	1
29	093967	UN SEAL HP	15.8	15.8	0
30.	751898	UN SEAL HP	15.8	15.9	1
31	561018	UN SEAL HP	15.5	15.5	0



1
 जिला कलेक्टर
 अजमेर

32	284986	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
33	141077S	UN SEAL HP	15.9	15.9	0
34	686946	UN SEAL HP	15.6	15.7	1
35	391092	UN SEAL HP	15.8	16.0	2
36	480152F	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
37	624545	UN SEAL HP	15.6	15.9	3
38	अपठनीय	UN SEAL HP	16.6	16.6	0
39	104520	UN SEAL HP	15.7	15.7	0
40	420118J	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
41	574202	UN SEAL HP	15.6	16.0	4
42	30024T	UN SEAL HP	15.9	15.9	0
43	414054S	UN SEAL HP	15.9	15.9	0
44	638152	UN SEAL HP	15.7	15.7	0
45	082450	UN SEAL HP	15.5	15.5	0
46	038331S	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
47	901125	UN SEAL HP	16.7	17.5	8
48	761879S	UN SEAL HP	15.8	15.9	1
49	0244097	UN SEAL HP	15.6	15.6	0
50	213609	UN SEAL HP	15.7	15.7	0
51	304050S	UN SEAL HP	16.0	16.1	1
52	439113T	UN SEAL HP	15.5	15.9	4
53	479215T	UN SEAL HP	15.5	15.5	0
54	564346P	UN SEAL INDANE	15.3	15.3	0
55	151787T	UN SEAL INDANE	15.6	15.6	0
56	4673S	UN SEAL INDANE	15.6	15.6	0
57	614579	UN SEAL INDANE	15.5	15.5	0
58	139433S	UN SEAL INDANE	15.6	15.6	0
59	297140S	UN SEAL INDANE	15.7	15.8	1
60	0899155	UN SEAL INDANE	16.0	16.0	0
61	अपठनीय	UN SEAL INDANE	15.7	16.1	4
62	429448	UN SEAL HP	15.9	16.2	3
63	384206T	UN SEAL HP	15.5	15.5	0
64	424097	UN SEAL HP	15.7	15.7	0
65	430763	UN SEAL HP	15.8	15.8	0
66	467509S	UN SEAL HP	15.7	15.8	1
कुल					259.1

प्रथम दृष्टया पाया गया कि श्री विजय कुमार द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से एलपीजी का परिवहन व आपूर्ति का कार्य बिना वैध दस्तावेज एवं अनुमति के घरेलू गैस सिलेण्डरों का कार्य किया जा रहा है जिसके किसी भी प्रकार के दस्तावेज वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये गये। जब्तशुदा 66 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैसर्स देवराज गैस एजेन्सी, नासून (मसूदा) ब्यावर के कार्मिक श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री अमरुद्दीन को तथा जब्त पिकअप

जिला कलेक्टर
अजमेर

वाहन संख्या आर.जे. 29 जीए 8433 को नजदीकी पुलिस थाना नसीराबाद थाना सदर के श्री मोहनलाल, हेड कॉस्टेबल बेल्ट नं0 1052 को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 66 घरेलू गैस सिलेण्डर 259.1 किग्रा एलपीजी वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में वाहन छोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट कि दिनांक 23.08.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अपनी टीम के साथ प्रार्थीगण की दुकान से पिकअप संख्या आर.जे. 29 जी.ए 8433 को व कुल 66 सिलेण्डर जिसमें 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए थे तथा शेष खाली सिलेण्डरों को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त किया था। प्रार्थीगण मलका गैस एजेन्सी में डिलेवरी मैन है तथा मलका गैस एजेन्सी का परिचय पत्र भी प्रार्थीगण के पास है तथा प्रार्थीगण उक्त एजेन्सी के मार्फत गांव उपभोक्ताओं से खाली सिलेण्डर ग्राहको से एकत्रित कर मलक गैस एजेन्सी के गोदाम में ले जाता है। तथा भरे हुए गैस सिलेण्डरों को लाकर मलक गैस एजेन्सी के ग्राहको को सप्लाई करता है। प्रार्थीगण ने जिला रसद अधिकारी जो मौके पर गैस सिलेण्डर के मलका गैस एजेन्सी के बाउचर व डायरिया दिखाये परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी के उक्त सिलेण्डरों व गाडी को जब्त कर लिया। प्रार्थीगण के पास जब्तशुदा पिकअप के सेल लेटर व इकरारनामा है तथा प्रार्थीगण को उक्त पिकअप के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की दूसरी वाहन मलका गैस एजेन्सी में लगी हुई है परन्तु घटना की दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थीगण की उक्त पिकअप खराब हो गयी थी इस कारण प्रार्थीगण ने अपने घर पर खड़ी पिकअप संख्या आर.जे. 29 जी ए 8433 में खाली व भरे सिलेण्डर रखकर दूसरी गाडी का काम करवाने चले गये। अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को समाप्त कर वाहन व जब्तशुदा सिलेण्डरों को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ मलका गैस एजेन्सी का लेटर एवं वाहन किराया बाबत इकरारनामें की छाया प्रति प्रस्तुत की।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, सुपुर्दगीनामा तथा अप्रार्थी की बहस में प्रकट तथ्यों पर विचार किये जाने पर पाया कि अप्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर निर्णय के साथ-साथ मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना भी न्यायोचित होगा। अतः मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी इसी आदेश से किया जा रहा है। दिनांक 23.08.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करने के संबंध में प्राप्त मुखबीर सूचना के क्रम में जांच दल हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल भवानीखेडा, नसीराबाद की दुकान पर पहुँचें। मौके पर दुकान के सामने एक पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 खड़ी पायी जिस पर एच. पी. गैस तथा मलका गैस लिखा होना पाया गया। उक्त वाहन में कुल 66 गैस सिलेण्डर पाए गये, जिनमें से 18 गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए। मौके पर श्री विजय कुमार ने बताया कि दुकान उन्होंने किराये पर ले रखी है तथा पिकअप वाहन जिसमें सिलेण्डर बरामद हुए वह भी उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री विजय कुमार द्वारा गैस सिलेण्डरों व पिकअप वाहन संबंधित कोई भी बिल वाउचर, गैट पास, गाडी की आर.सी एवं अन्य किसी भी प्रकार का कागजी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गाडी व



जिला कलक्टर
अजमेर



सिलेण्डरों की प्राप्ति के बारे में पूछने पर विजय कुमार ने बताया कि मैं सिलेण्डर मलका गैस एजेन्सी के गोदाम से पिकअप वाहन में भरकर लाता हूँ और फिर गांव में उपभोक्ताओं को आपूर्ति करता हूँ। वक्त जांच विजय कुमार के पास गैस एजेन्सी का कोई आई कार्ड नहीं मिला। उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी के पाए गये। जिसमें भरे हुए गैस सिलेण्डरों में कुल एलपीजी घरेलू गैस 259.1 किग्रा पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा साक्ष्य/बयान लेखबद्ध नहीं करवाकर सीधे सुनवाई चाही गयी। दौरान सुनवाई अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें मलका गैस सर्विस का लैटर पैड व वाहन सं. आर.जे. 29 जी ए 8433 का किराया इकरारनामा की छायाप्रति पेश की गई। पत्रावली में गैस सिलेण्डरों के सदर्थ में 18 बाउचर संलग्न है जबकि जब्तशुदा सिलेण्डरों की संख्या 66 है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार अभियुक्तों का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा उक्त 66 गैस सिलेण्डरों में से 08 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी तथा 58 सिलेण्डर एच.पी. गैस कम्पनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि कब्जेराज लिये सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे जिला रसद अधिकारी उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे। प्रार्थी ने पिकअप वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त पिकअप वाहन आर.जे. 29 जी ए 8433 में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर के परिवहन में साबित होने के फलस्वरूप रुपये 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र की शास्ती राशि आरोपित की जाती हैं। सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुरक्षित प्रक्रियानुसार जरिये नीलामी निस्तारण किया जावे। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2025 को सरे

इजलास सुनाया गया ।


(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

